P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-12* (Part-1) March- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

जलवायु परिवर्तन और भारत

मंजय कुमार
प्राचार्य,
आई. ए. एम. आर.,
कॉलेज, पाँचली,
मेरठ, (यू.पी.) भारत

सारांश

ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर किये गये प्रयास–ग्लोबल वार्मिंग पर, अंकुश की दिशा में मानव जाति की ओर से पहला सामूहिक प्रयास संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता (UNFCCC), 4 नवम्बर 2016 से लागू हो गया है, ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में कम से कम 55 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले कम से कम 55 देशों द्वारा औपचारिक पुष्टि इस समझौते के प्रभावी होने के लिए आवश्यक थी यह आवश्यक दशा 5 अक्टूबर, 2016 को पूरी हो गयी थी, जिसके 30 दिन बाद यह समझौता 4 नवम्बर 2016 से प्रभावी हो गया। जलवायु परिवर्तन पर अंकुश के इस ऐतिहासिक समझौते के लिए सर्व सम्मत सहमति पेरिस में 30 नवम्बर, 12 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न COP–21 (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 21 वें वार्षिक सत्र) में बनी थी। विश्व भर के नेताओं ने इस समझौते को पृथ्वी की रक्षा के लिए एक मील का पत्थर करार दिया था।

भारत जिसकी ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में हिस्सेदारी 4.10 प्रतिशत है, ने इस समझौते की पुष्टि सम्बन्धी दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 अक्टूबर, 2016 को सौंपे थे। भारत की ओर से यह दस्तावेज गाँधी जयन्ती के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस समारोह के शुरू में ही पेश किये गये थे। समझौते का अनुमोदन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की 28 सितम्बर, 2016 की बैठक में कर दिया गया था तथा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने 1 अक्टूबर, 2016 को इसे मंजूरी प्रदान की थी। भारत इस समझौते की पुष्टि करने वाला 62 वाँ देश था।

मुख्य शब्द : परिस्थितकी, मंत्रिमण्डल, रेफ्रिजरेटर, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी।

प्रस्तावना

जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से भारत विश्व का 13 वां सबसे संवेदनशील देश है, यहाँ की 60 प्रतिशत कृषि पर वर्षा आधारित है और दुनिया के गरीबों में से 33 प्रतिशत यहाँ निवास करते हैं। इसके कारण जलवायु परिवर्तन देश के भोजन और पोषण सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। सेंटर फॉर साइंस एण्ड़ एनवारनमेंट से प्रकाशित पुस्तक राइजिंग टू द कॉल में भारत के विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वर्णन किया है।

वर्ष 2050 तक भारत के तापमान 1–4^0 सेल्सियस और वर्षा में 9–16 फीसदी तक की वृद्धि देखी जा सकती है। इससे देश के आधे से भी अधिक क्षेत्र में किसानों पर बेहद बुरा असर पडने की आशंका है। जलवायु परिवर्तन के खतरे का आकलन क्षेत्र की संवेदनशीलता उस पर पड रहे प्रभाव और उसकी अनुकूलन क्षमता के आधार पर किया जाता है।

राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु पूर्वी उ0 प्र0 और बिहार के जिले अधिक या अत्यधिक जोखिम को दर्शाते हैं वहीं पश्चिमी क्षेत्रों में तटीय जिले, उत्तरी आन्ध्र प्रदेश और उत्तर–पूर्वी राज्यों के जिलों को अपेक्षाकृत कम खतरा है।

ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर किये गये प्रयास–ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश की दिशा में मानव जाति की ओर से पहला सामूहिक प्रयास संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता (UNFCCC) 4 नवम्बर 2016 से लागू हो गया है, ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में कम से कम 55 प्रतिशत हिस्देदारी वाले कम से कम 55 देशों द्वारा औपचारिक पुष्टि इस समझौते के प्रभावी होने के लिए आवश्यक थी यह आवश्यक दशा 5 अक्टूबर, 2016 को पूरी हो गयी थी, जिसके 30 दिन बाद यह समझौता 4 नवम्बर 2016 से प्रभावी हो गया। जलवायु परिवर्तन पर अंकुश के इस

ऐतिहासिक समझौते के लिए सर्वसम्मत् सहमति पेरिस में 30 नवम्बर–12 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न सत्र) से बनी थी। विश्व भर के नेताओं ने इस समझौते को पृथ्वी की रक्षा के लिए एक मील का पत्थर करार दिया था।

भारत जिसकी ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में हिस्सेदारी 4.10 प्रतिशत है, ने इस समझौते की पुष्टि सम्बन्धी दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 अक्टूबर, 2016 को सौंपे थे। भारत की ओर से यह दस्तावेज गांधी जयन्ती के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस समारोह के शुरू में ही पेश किये गये थे। समझौते का अनुमोदन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की 28 सितम्बर 2016 की बैठक में कर दिया गया था तथा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने 1 अक्टूबर 2016 को इसे मंजूरी प्रदान की थी। भारत इस समझौते की पुष्टि करने वाला 62 वाँ देश था। इस समझौते की पुष्टि के साथ यह भी समस्या है कि भारत की परिस्थितियां अन्य विकसित देशों की तुलना में विपरीत है।

एयर कंडीशन (एसी) सिर्फ एक सुख–सुविधा देनें वाला उपकरण भर नहीं है, बल्कि यह लगातार गर्म होती दुनिया में जीवन बचाने वाला एक महत्वपूर्ण अनूकूलन यंत्र है। हालांकि यह भी वैश्विक तापमान बढ़ाता ही है। यही वजह है कि रवांडा के किंगली में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को सीमित करने के लिए हुए ऐतिहासिक समझौते की संरचना में अन्य चीजों के अलावा एयर कंडीशन एवं रेफ्रिजरेटर को इतना महत्व दिया गया है। समझौते में इस बात पर जोर दिया गया

अब जरा वैश्विक जलवायु नीति के भविष्य पर एक नजर डालते हैं। इस संदर्भ में भारत की जलवायु नीति की चर्चा करना महत्वपूर्ण है। चीन और अमेरिका के बाद ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन के मामले में भारत का स्थान तीसरा है और ऐसी आशंका है कि सदी के अंत में वहां ग्रीनहाऊस गैसों का उच्चतम स्तर पर होगा। धीमी गति से ही सही, भारत ग्रीनहाऊस गैसों का उत्सर्जन घटाने सम्बन्धी संशोधन का समर्थन करने का फैसला किया है, जो बताता है कि वह जीवन को बचाने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

हमारे सतत् अनुसंधान में हमने यात्रा कि भारत में गर्म दिनों का असाधारण रूप से मृत्युदर पर काफी बडा प्रभाव पडता है। खासकर, जब गर्मियों में तापमान औसतन 35 डिग्री सेंटीग्रेड़ से ऊपर चला जाता है, तब ऐसे हर अतिरिक्त दिन का मृत्युदर प्रभाव भारत में अमेरिका की तुलना में 25 गुना अधिक होता है। इस समय भारत में हर साल औसतन पांच दिन गर्मी के लिहाज से बहुत घातक होते है। वैश्विक जलवायु नीति के बगैर सदी के अंत तक प्रति वर्ष ऐसे 75 गर्म दिन होने की आशंका जताई जा रही है। जाहिर है, उच्चतम तापमान भारत के लिए बडा खतरा है और साथ ही यह जलवायु परिवर्तन की चपेट में है जो देश की चुनौतियों को कमतर करके आंक रहा है।

अमेरिका में गर्म दिनों का प्रभाव मृत्युदर पर काफी कम पडता है, क्योंकि यहां एयर कंडीशन का COP–21 (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 21 वे वार्षिक

कि अगर लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है, तो दुनिया, खासकर आज के गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से अवश्य मुकाबला करना चाहिए।

अब जरा इन तथ्यों पर विचार कीजिए, अमेरिका में जहाँ 87 फीसदी परिवारों के पास एसी है, वहीं भारत में मात्र पांच फीसदी परिवारों के पास यह सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में व्यापक रूप से हाइड्रोफ्लोरो कार्बन (एचएफसी) को सीमित करने के लिए किया गया कोई समझौता अपेक्षाकृत गरीब देशों के नागरिकों को एयर कंडीशन की सुविधा हासिल करने के अवसरों को घटाएगा। इन असमानताओं से निपटने के लिए किंगली समझौते में देशों की तीन श्रेणियों वाली ट्रैक प्रणाली बनाई गई है। अमेरिका जैसे सम्पन्न देश तेजी से अमल करने वाली श्रेणी में रहेंगे, जो 2018 तक एचएफसी के उत्पादन के स्तर को 2036 तक 15 फीसरी के स्तर पर लाएंगे, जो वर्ष 2012 का स्तर था। बाकी दुनिया के ज्यादातर देश दूसरी श्रेणी के रूप में मध्य मार्ग अपना रहे हैं और भारत जैसे सबसे गर्म देशों को छोटा–सा समूह उत्सर्जन घटाने के लिए सबसे धीमी रफ्तार को अपनाने के लिए सहमत हो गया है। परोपकारियों के साथ–साथ धनी देश मध्यम मार्ग अपनाने वाले देशों को प्रोत्साहन के रूप में आठ करोड़ डॉलर की सहायता राशि भी अब उपलब्ध कराऐंगे। यह ट्रैक प्रणाली दर्शाती है कि ग्रीन हाऊस गैसों के प्रदूषण को घटाने के लिए जरूरी हैं कि सभी देश भविष्य में होने वाले छोटे से जलवायु परिवर्तन के बदले आज अग्रिम जमानत लगाना स्वीकार करें।

उपयोग व्यापक रूप से होता है। हाल ही में एक शोध ने बताया कि अमेरिका में गर्म दिनों के कारण होने वाली मौतों में 1960 से 2004 तक 80 फीसदी की कमी आई है और इसके सबसे बडी वजह है एयर कंडीशन का बढ़ता उपयोग। इसलिए हम एक मुश्किल स्थिति में फंसे हैं जो प्रौद्योगिकी लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचा सकती है। वही जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने वाले ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को भी बढ़ावा देती है।

निष्कर्ष

बाकी दुनिया की तरह भारत भी भविष्य के बारे में सोचे बगैर लोगों के जीवन–स्तर को सुधारने का विकल्प नहीं चुन सकता। यानी उसे एक मुश्किल संतुलन बनाना होगा। भारत को न केवल पहले से ही गर्म जलवायु के प्रभावों से लोगों को बचाना होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को भविष्य में असहनीय जलवायु का सामना न करना पडे। हो सकता है कि समय के साथ भारत समृद्ध हो और संभवतः प्रोद्यौगिकी उसके किफायती विकल्प उपलब्ध कराए, जैसे सस्ते एयरकंडीशनर, जिसमें एसएफसी के विकल्प का उपयोग हो। पर समझौता बताता है कि अभी भारत मौजूदा नागरिकों की समस्याओं पर ही ध्यान दे रहा है, जिन्हें उन खतरों का सामना करना पड़ता जो धनी राष्ट्रों के लोगों को नहीं करना पड़ता है।

वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के बीच यह संतुलन ही सभी देशों की जलवायु नीति संबंधी फैसलें को

आकार देता है। यह सोचना अवास्तविक होगा कि जो कुछ देशों के लिए सही है, वह सभी देशों के लिए सही होगा। लेकिन अभी हम जो फैसला करेंगे, वही तय करेगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को किस तरह का वातावरण सौंपना चाहते है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

अमर उजाला, 2016 अक्टूबर, गाज़ियाबाद संस्करण।
दी न्यूयॉक टाइम्स, 2016 अक्टूबर, न्यूयार्क संस्करण।
आउट लुक, दिसम्बर 2016
गोयल, एम0 के0, पर्यावरणीय शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा
शर्मा, आर0 ए0, पर्यावरण शिक्षा, आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ।
दैनिक जागरण 8 मार्च 2017 गाजियाबाद उ0प्र0।